

माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित अम्बिकापुर

ग्राम केरता जिला-सूरजपुर (छ0ग0)

पंजीयन क्रमांक-डी.आर./अम्बिकापुर/2121 दिनांक 15 अक्टूबर 2006

पेयई सत्र 2022-23 की सह-उत्पाद प्रेसमड विक्रय हेतु तृतीय ई-निविदा का निविदा प्रपत्र

(भाग-2, तकनीकी भाग)

(निविदा विज्ञप्ति क्रमांक 123(2) जारी दिनांक 17/01/2023)



कारखाना स्थल : ग्राम-केरता, तहसील - प्रतापपुर,
जिला - सूरजपुर (छ0ग0)

फर्म का नाम व पता

.....
.....
.....

दिनांक -


निविदा फर्म जारीकर्ता के हस्ताक्षर
G.M. (Admin)
M.M.S.S.K. Ambikapur



माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित - अम्बिकापुर ग्राम केरता

प्रेसमड विक्रय हेतु ई-निविदा का निविदा प्रपत्र भाग - 2 (तकनीकी भाग)

ई-निविदा विज्ञप्ति क्रमांक : 123(2)

दिनांक : 17/01/2023

(नोट: निविदा फार्म 03 भागों में है, जिसमें प्रथम भाग जो ई.एम.डी. भाग होगा, जिसे निर्धारित स्थान पर अपलोड किया जाना होगा, और द्वितीय भाग जो तकनीकी भाग होगा, जिसे निर्धारित स्थान पर अपलोड किया जाना होगा, तृतीय भाग जो व्यावसायिक भाग होगा जिसे निर्धारित स्थान पर अपना दर अंकित कर अपलोड किया जाना होगा। संलग्न किये गये तकनीकी भाग एवं आवश्यक दस्तावेजों में प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकार का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। किसी फर्म/व्यवसायी के प्रतिनिधि द्वारा निविदा प्रस्तुत किया जाता है, तो इस आशय का अधिकार-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा)

तकनीकी भाग - दो (लिफाफा-दो में अपलोड करें)

प्रति,

प्रबंध संचालक,

माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना

मर्यादित, अम्बिकापुर ग्राम-केरता

माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित अम्बिकापुर ग्राम केरता द्वारा प्रकाशित ई-निविदा विज्ञप्ति क्रमांक 123(2) दिनांक 17/01/2023 के निविदा प्रपत्र के व्यावसायिक भाग में दर्शाए अनुसार प्रेसमड की मात्रा उनके सामने दर्शाए गये मूल्य पर क्रय करने हेतु दर प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं/मेरे फर्म द्वारा प्रेसमड क्रय/विक्रय/परिवहन/भण्डारण से संबंधित अधिनियमों/नियमों और केन्द्र तथा राज्य शासन द्वारा तत्संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के साथ ही माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित-अम्बिकापुर द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानदण्डों का पालन करने की सहमति देता हूँ।

01(A) - व्यवसायी/फर्म का विवरण -

1. फर्म का नाम एवं पूर्ण पता -

.....
.....
.....

2. निविदाकर्ता का नाम - श्री/सुश्री

.....

3. निविदाकर्ता के पिता/पति का नाम

.....

4. दूरभाष/मोबाईल नम्बर

.....

5. ई-मेल नम्बर/आई.डी.

.....

6. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नम्बर
(छायाप्रति संलग्न करें)

.....

7. आयकर विभाग का पेन नम्बर
(छायाप्रति संलग्न करें)

.....

01 (B) - व्यवसायी/फर्म के प्रतिनिधि का विवरण -

यदि प्रतिनिधि के माध्यम से निविदा प्रस्तुत किया जा रहा हो तो प्रतिनिधि के संबंध में निम्नानुसार विवरण अनिवार्य रूप से दिया जावे -

1. फर्म का नाम एवं पूर्ण पता
2. प्रतिनिधि निविदाकर्ता का नाम -श्री/सुश्री
3. प्रतिनिधि निविदाकर्ता के पिता/पति का नाम
4. फर्म मालिक से सम्बंध -
5. दूरभाष/मोबाईल नम्बर-
6. ई-मेल नम्बर/आई.डी.

मैं माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित - अम्बिकापुर ग्राम केरता द्वारा जारी ई-निविदा विज्ञापित क्रमांक 123(2) दिनांक 17/01/2023 के लिए श्री/मेसर्स..... पता.....

.....की ओर से निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ। उक्त फर्म द्वारा मुझे इस कार्य हेतु अधिकृत किया गया है। अधिकार पत्र इस निविदा के तकनीकी भाग में लिफाफा-एक में सलग्न कर रहा हूँ। मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी सही और सत्य है। मैंने प्रेसमड़ विक्रय से संबंधित नियमों/शर्तों को पढ़ और समझ लिया है। जो मुझे मान्य है। इस निविदा के संबंध में मेरे द्वारा किया गया प्रत्येक कृत्य निविदा से संबंधित फर्म/व्यवसायी, की ओर से किया गया माना जाएगा। किसी प्रकार से गलत पाये जाने पर मैं जिम्मेदार रहूँगा।

निविदाकार/प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

02 - निविदा का प्रस्तुतीकरण एवं खोलना -

निविदाकार को निविदा प्रस्तुत करने हेतु तीन लिफाफों का उपयोग करना अनिवार्य होगा। प्रथम लिफाफा "लिफाफा-एक" में ई.एम.डी. राशि कारखाने के खाते में जमा की पावती एवं (ई0एम0डी0 भाग-1), द्वितीय लिफाफा "लिफाफा-दो" में फर्म से संबंधित फर्म का नाम, पेन नम्बर प्रमाण पत्र, जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, तीन वर्षों का इनकम टैक्स रिटर्न अथवा तीन वर्षों का फर्म का बैलेन्स सीट, एवं (तकनीकी भाग -2), तीसरे लिफाफे "लिफाफा-तीन" में निविदा दर संबंधी प्रपत्र (व्यावसायिक भाग-3) को प्रस्तुत करना होगा। तीनों ही लिफाफे में चाही गई दस्तावेजों को निर्धारित स्थान पर सलग्न कर अपलोड होनी चाहिए। संस्था में गठित समिति द्वारा सर्व प्रथम लिफाफा एक खोला जावेगा जिसके सही पाये जाने पर ही लिफाफा दो खोला जावेगा। इसी प्रकार लिफाफा दो तकनीकी भाग सही पाये जाने पर लिफाफा तीन व्यावसायिक भाग को खोला जावेगा।

03 - निविदा की शर्तें -

माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित-अम्बिकापुर से प्रेसमड़ क्रय करने वाले फर्म/व्यवसायी का नीचे उल्लेखित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

1. प्रेसमड़ क्रय करने के लिए जी.एस.टी. प्रमाण पत्र की एक प्रति फोटो कॉपी निविदा प्रपत्र के साथ जमा करना अनिवार्य है।
2. तीन वर्षों का आयकर रिटर्न अथवा तीन वर्षों का फर्म का बैलेन्स सीट विवरणी संलग्न कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. प्रेसमड़ क्रय करने हेतु भाव पत्र न्यूनतम 1000 मी.टन मात्रा की होगी इससे कम मात्रा के लिए दर प्रस्तुत करने की स्थिति में निविदा अमान्य किया जावेगा। कारखाना प्रबंधन द्वारा मात्रा में कमी या वृद्धि की जा सकती है उक्त मात्रा हेतु प्रबंधन बाध्य नहीं होगी।
4. प्रेसमड़ खरीदी हेतु निविदा फार्म में केवल एक ही दर प्रस्तुत करें एक से अधिक दरों पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. निविदा में दर का उल्लेख स्पष्ट रूप से अंकों एवं शब्दों में लिखा हुआ होना चाहिए कॉट छोट होने पर निविदा निरस्त की जा सकती है।
6. विक्रय हेतु निर्धारित प्रेसमड़ मात्रा 2000 मी.टन है, कारखाना प्रबंधन द्वारा मात्रा में कमी या वृद्धि की जा सकती है उक्त मात्रा हेतु प्रबंधन बाध्य नहीं होगी।
7. निविदा विज्ञप्ति अनुसार निविदा फार्म दिनांक 18/01/2023 को शाम 05.00 बजे से दिनांक 23/01/2023 को दोपहर 12.00 बजे तक इच्छुक फर्मों/निविदाकारों द्वारा भाग लेने के लिए ई-टेंडर के वेबसाइट में जाकर ई-निविदा हेतु फार्म राशि 1311.00 रुपये (1000.00 रुपये 311.00 रुपये चिप्स द्वारा ली जाने वाली सर्विस चार्ज) ऑनलाईन के माध्यम से जमा कर शासकीय ऑनलाईन वेबसाइट (E-Procurement Portal: <http://eproc.cgstate.gov.in>) से फार्म डाउनलोड कर भरकर अपलोड कर सकते हैं।
8. निविदा विज्ञप्ति अनुसार निविदा प्रपत्र दिनांक 23/01/2023 को दोपहर 02.00 बजे के बाद संस्था कार्यालय कारखाना परिसर स्थित प्रशासनिक भवन ग्राम केरता जिला सूरजपुर (छ.ग.) में खोला जायेगा जिसमें निविदाकार/उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
9. निविदा में प्राप्त उच्चतम दर प्रस्तुत करने वाले फर्म को प्रस्तुत मांग अनुसार प्रेसमड़ उठाव हेतु आदेश जारी किये जायेंगे तथा उठाव पश्चात पुनः मांग किये जाने पर उठाव आदेश जारी किये जायेंगे निविदाकार द्वारा पुनः मांग नहीं करने पर अन्य निविदाकारों को मांग अनुसार उठाव आदेश जारी किये जा सकेगा। एवं आवश्यकता पड़ने पर ई.एम.डी. राशि के अनुपात में विक्रय आदेश जारी किया जा सकता है।
10. निविदा दर स्वीकृत होने पर निविदाकार को क्रय हेतु प्रस्तावित प्रेसमड़ क्रय की राशि उठाव के पूर्व RTGS के माध्यम से जमा करनी होगी उक्त राशि संस्था के खाते में जमा होने के उपरान्त ही उठाव सम्बंधी आदेश DO दिये जायेंगे।
11. क्रय किये गये प्रेसमड़ की सम्पूर्ण मात्रा का उठाव विक्रय आदेश जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के भीतर उठाव करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि समाप्त हो जाने के उपरान्त प्रेसमड़ का उठाव नहीं करने दिया जायेगा और ई.एम.डी. की राशि जप्त कर ली जायेगी। तथा ऐसे शेष मात्रा किसी क्रेता या व्यापारी को दिया जा सकेगा।

इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन/कार्यवाही का अधिकारी क्रय विक्रय समिति के पास सुरक्षित होगा।

12. क्रय किये गये प्रेसमड की सम्पूर्ण मात्रा की सम्पूर्ण राशि को विक्रय आदेश जारी होने के दिनांक से 10 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन/कार्यवाही का अधिकारी क्रय विक्रय समिति के पास सुरक्षित होगा।
13. निविदाकार को प्रचलित सभी कर शुल्क एवं प्रेसमड लोडिंग व्यय का भुगतान पृथक से करना होगा निविदाकार को प्रेसमड का डिलीवरी कारखाना से "जो है जैसा है" की स्थिति में दी जावेगी प्रेसमड का उठाव शासकीय एवं सप्ताहिक अवकाश को छोड़कर कार्यालयीन दिवसों एवं कार्यालयीन समय पर ही किया जा सकेगा।
14. प्रेसमड डिलेवरी हेतु वाहनों का प्रवेश सुबह 10.30 बजे से 03.30 बजे एवं निर्गमन शाम 05.30 बजे तक किया जायेगा।
15. प्रेसमड डिलेवरी लेते समय पार्टी स्वयं या अपने प्रतिनिधि के समक्ष गाडी लोड करावें विक्रय किया हुआ प्रेसमड कारखाने से बाहर ले जाने के बाद कारखाने की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
16. वाहनों की मानक लोडिंग क्षमता अनुसार लोडिंग दी जावेगी।
17. जिस फर्म के नाम से विक्रय आदेश जारी की जायेगी बिल उसी के नाम से बनेगा।
18. क्रय की गई सम्पूर्ण प्रेसमड की राशि जमा एवं उठाव निर्धारित समय में नहीं होने पर ई.एम.डी. राशि राजसात कर ली जावेगी। एवं फर्म को ब्लैक लिस्टेड करने की कार्यवाही की जावेगी।
19. निविदा में भाग लेने हेतु यदि प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है तो इस आशय का अधिकार पत्र देना अनिवार्य होगा।
20. किसी भी प्रकार के विवाद होने की दशा में न्यायालयीन क्षेत्राधिकार सहकारी क्षेत्र के सक्षम न्यायालय के अधिकार के अंतर्गत होगा।
 1. फर्म का लेटर पेड में निम्न जानकारी होनी चाहिए:-
 1. कायदेश में उठाव हेतु कुल मात्रा, दर एवं राशि।
 2. पूर्व में उठाया गया दर एवं राशि।
 3. वर्तमान में उठाये जाने वाली मात्रा, दर एवं राशि।
 4. परिवहनकर्ता का नाम, पता वाहन की प्रकार एवं वाहन क्रमांक।
 5. ड्राइवर का नाम एवं Driving License No. वैध होना अनिवार्य है।
 6. उठाव के अगेनष्ट (Against) जमा की गई राशि का तिथि वार विवरण दें।

निविदाकार का हस्ताक्षर

सत्यनिष्ठा वचन पत्र

मैं.....फर्मप्रतिनिधि

का नाम.....पिता का नाम

पता.....का

निवासी हूँ मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि

1. मेरे द्वारा कोड किया गया दर अधिकतम है एवं इससे अधिक दर पर प्रेसमड क्रय नहीं करूंगा।
2. मेरे द्वारा प्रेसमड का उपयोग किया जाता है जिसकी समस्त जानकारी मुझे है एवं उपरोक्त सभी शर्तों को के अधिन निविदा प्रस्तुत किया गया है।
3. मुझे पूर्व कार्यदेशों की प्रेसमड का उठाव सही समय में एवं गुणवत्ता के अनुसार पूर्ण/क्रय की गई है।
4. मैंने निविदा में भाग लेने या कार्य आदेश प्राप्त करने के उद्देश्य से संस्था के किसी कर्मचारी/अधिकारी से कोई सम्पर्क नहीं किया है और नहीं कोई अनुचित व्यावहार किया है जिससे अनुचित लाभ प्राप्त हो।
5. मैंने कुल मात्रा की कुल राशि का 10 प्रतिशत की दर से कुल राशि रुपये.....
.....(शब्दों में).....
..... ई.एम.डी. राशि खाता क्रमांकदिनांक
को संस्था के पक्ष में जमा किया है यदि मेरे द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की जानकारी असत्य पाई जाती है अथवा कार्य में विलम्ब किया जाता है या सही गुणवत्ता का नहीं पाया जाता है तो समस्त ई0एम0डी0 राशि संस्था के पक्ष में जप्त करने हेतु अधिकृत करता हूँ।

निविदाकार का हस्ताक्षर

दिनांक:

नाम

पता

04 - अध्यक्ष/प्रबंध संचालक/निविदा समिति का अधिकार -

अध्यक्ष/प्रबंध संचालक अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि/समिति को निम्नानुसार अधिकार होगा।

1. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने एवं किसी भी प्रकार के परिवर्तन/निगोशियेशन संबंधी संपूर्ण अधिकार।
2. प्रबंध संचालक/उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि/समिति की दृष्टि में निविदा निरस्त करने योग्य कोई कारण हो तो किसी भी समय निविदा निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में निविदाकार को कारण बताना आवश्यक नहीं होगा।
3. फर्म/व्यवसायी द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन नहीं करने पर अमानत राशि जप्त करने/अन्य फर्म/व्यवसायी को शेष प्रेसमड़ की मात्रा विक्रय करने एवं अन्य समवर्ती सम्पूर्ण अधिकार।
4. किसी भी शर्त को शिथिल करने अथवा कोई अन्य शर्त आरोपित का सम्पूर्ण अधिकार।

मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सही और सत्य है जिनके गलत पाये जाने पर कारखाना प्रबंधन द्वारा किसी भी स्तर पर निविदा/विक्रय आदेश निरस्त कर सकती है। शक्कर कारखाना द्वारा प्रेसमड़ विक्रय हेतु निर्धारित नियम/शर्त/प्रक्रियाओं को पढ़ और समझ लिया है जो मुझे मान्य है। मेरे द्वारा प्रेसमड़ क्रय हेतु निविदा दर लिफाफा-तीन व्यावसायिक भाग पर प्रस्तुत किया जा रहा है।

निविदाकार का हस्ताक्षर

दिनांक:

नाम

पता